

इस कार्यालय के आदेश कमांक एफ 21(8)2024-25/विकास/प्रमुवस/ 3072 दिनांक 05.06.2024 द्वारा चारागाह विकास एवं वृक्षारोपण हेतु बजट मद 4406-वानिकी तथा वन्यजीव पर पूंजीगत परिव्यय, 01-वानिकी, 101-वन संरक्षण विकास तथा संपोषण, 01-परिभ्रांषित वनों का पुनरारोपण, 63-वृक्षारोपण में वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु बजट आवंटन किया गया था। जिसमें मुख्य वन संरक्षक, जोधपुर के पत्रांक 4042 दिनांक 13.06.2024, उप वन संरक्षक भरतपुर के पत्रांक 4802 दिनांक 11.06.2024 एवं उप वन संरक्षक, उदयपुर(उत्तर) के पत्रांक 4305 दिनांक 19.06.2024 द्वारा प्राप्त समर्पण को स्वीकार करते हुए एवं मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, उदयपुर के पत्रांक 2344 दिनांक 13.06.2024, उप वन संरक्षक, उदयपुर के पत्रांक 4251 दिनांक 20.06.2024, उप वन संरक्षक, वन्यजीव, चिडियाघर, जयपुर के पत्रांक 5436 दिनांक 21.06.2024 एवं उप वन संरक्षक, बाघ परियोजना, सरिस्का के पत्रांक 5584-86 दिनांक 24.06.2024 से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार निम्नानुसार संशोधित बजट आवंटन किया जाता है:-

| मुख्य वन संरक्षक                                       | उप वन संरक्षक                           | पूर्व में आवंटित बजट |                               |                            | संशोधित आवंटित बजट  |                               |                            |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|
|                                                        |                                         | क्षेत्रफल (हे० में)  | मॉडल दर प्रति हे० (रूपये में) | आवंटित राशि (रु.लाखों में) | क्षेत्रफल (हे० में) | मॉडल दर प्रति हे० (रूपये में) | आवंटित राशि (रु.लाखों में) |
| मुख्य वन संरक्षक, भरतपुर                               | उप वन संरक्षक, भरतपुर                   | 100                  | 40000                         | 40.00                      | 0                   | 0                             | 0.00                       |
| मुख्य वन संरक्षक, जोधपुर                               | उप वन संरक्षक, जालोर                    | 200                  | 40000                         | 80.00                      | 0                   | 0                             | 0.00                       |
| मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर                               | उप वन संरक्षक, उदयपुर(उत्तर)            | 200                  | 40000                         | 80.00                      | 100                 | 40000                         | 40.00                      |
|                                                        | उप वन संरक्षक, उदयपुर                   | 300                  | 40000                         | 120.00                     | 400                 | 40000                         | 160.00                     |
| मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, उदयपुर                      | उप वन संरक्षक, वन्यजीव, चित्तौड़गढ़     | 0                    | 0                             | 0                          | 150                 | 40000                         | 60.00                      |
|                                                        | उप वन संरक्षक, वन्यजीव, उदयपुर          | 0                    | 0                             | 0                          | 70                  | 40000                         | 28.00                      |
| मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, जयपुर                       | उप वन संरक्षक, वन्यजीव, चिडियाघर, जयपुर | 0                    | 0                             | 0                          | 30                  | 40000                         | 12.00                      |
| मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, बाघ परि., सरिस्का | उप वन संरक्षक, बाघ परियोजना, सरिस्का    | 0                    | 0                             | 0                          | 50                  | 40000                         | 20.00                      |
| योग:-                                                  |                                         | 800                  |                               | 320.00                     | 800                 |                               | 320.00                     |

कृपया आवंटित बजट के संबंध में निम्न कार्यवाही शीघ्र किया जाना सुनिश्चित कराये:-

1. उक्त आवंटन में यदि बचत हो तो वह राशि इस आवंटन दिनांक से 15 दिवस के अन्दर समर्पित कर दी जायें।
2. उक्त कार्य बजट घोषणा के अनुरूप Model Cost Norms Grassland Development (Desert Area and Non - Desert Area के अनुसार विकास कार्य करवाया जाना सुनिश्चित करें।

.....2

3. कार्यो को प्रारम्भ करने से पूर्व प्राक्कलन की स्वीकृति नियमानुसार सक्षम स्तर से आवश्यक रूप से जारी की जावे अथवा करा ली जावे तथा राज्य सरकार के वित्तीय निर्देशो की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जाये।
4. बजट का उपयोग सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमो, वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर उपापयन (Procurement) एवं व्यय के संबंध में जारी परिपत्रों, कोष नियम एवं अन्य संबंधित नियमो के अनुसार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशो की पालना करते हुए बजट सीमा में करे। इन नियमो/आदेशो की अवहेलना करने वाले अधिकारी अनियमितताओ के लिये व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
5. वन विकास कार्यो को यथाशीघ्र प्रारम्भ करवाना सुनिश्चित किया जावे।

(असुराम भारद्वाज)

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक(विकास)  
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 21 (8)2024-25/विकास/प्रमुखस/ 3430-48 दिनांक: 25.6.2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य वन संरक्षक, भरतपुर/जोधपुर/उदयपुर/वन्यजीव, उदयपुर/वन्यजीव, जयपुर/ मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, बाघ परि., सरिस्का।
3. वित्तीय सलाहकार, वन विभाग, जयपुर।
4. उप वन संरक्षक, भरतपुर/ जालोर/उदयपुर(उत्तर)/ वन्यजीव, चित्तौडगढ़/वन्यजीव, उदयपुर/ उप वन संरक्षक, वन्यजीव, चिडियाघर, जयपुर/ उप वन संरक्षक, बाघ परियोजना, सरिस्का/उदयपुर।
5. प्रभारी अंकमिलान (लेखा शाखा)/संकलन शाखा (सांख्यिकी अनुभाग)/कम्प्यूटर शाखा।

(सेडूराम यादव)  
मुख्य वन संरक्षक(आयोजना)  
राजस्थान, जयपुर